



न्यायालय कलेक्टर (शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 22 / बी-121 / 2014-15

: आदेश ::

(आज दिनांक 20 / 04 / 2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोण्डवा के माध्यम से तहसीलदार सोण्डवा का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 14.04.2015 को घटनास्थल ग्राम दुधवी तहसील सोण्डवा में सड़क दुर्घटना होने से राकेश पिता कुवरसिंह जाति भीलाला निवासी चिखली की मृत्यू हो गई थी। उसके वैध वारिश में उसके पिता कुवरसिंह पिता कमला जाति भीलाला निवासी ग्राम चिखली को आर्थिक अनुदान राशि रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत से सहमत होकर मृतक के वारिश में उसके पिता कुवरसिंह पिता कमला जाति भीलाला निवासी ग्राम चिखली तहसील सोण्डवा को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/ एफ-20-21/2012/1/4 भोपाल, दिनांक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या 02-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा धायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावे।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

पृ0क / 360 / रीडर / 2015

अलीराजपुर दिनांक.....20/4/2015

प्रतिलिपि:-

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 2 प्रभारी अधिकारी (सहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर ।
- 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोण्डवा
- 5 तहसीलदार तहसील सोण्डवा ।
- 6 संबंधित कुवरसिंह पिता कमला जाति भीलाला निवासी ग्राम चिखली तहसील सोण्डवा तहसील सोण्डवा जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर

जिला अलीराजपुर